न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 56 / 2016

वादी

1. बादरराम पुत्र जोराराम जाति बावरी निवासी साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. ढगलाराम पुत्र जोराराम के का.मु.
   1 / 1 कन्या पत्नी ढगलाराम
   1 / 2 रमेश पुत्र ढगलाराम
   1 / 3 गणपत पुत्र ढगलाराम
   1 / 4 राजु पुत्र ढगलाराम
   1 / 5 सुगीया पुत्री ढगलाराम
   1 / 6 संतोष पुत्री ढगलाराम
   1 / 7 सायता पुत्री ढगलाराम जातिगण बावरी निवासीगण साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
2. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. श्री विनोद वैष्णव, अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक : — 18/10/2023

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा साण्डिया तहसील सोजत में खसरा नम्बर 663 रकबा 1.7600 हैक्टर, खसरा नम्बर 996 रकबा 0.1600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1078 रकबा 0.7700 हैक्टर, खसरा नंबर 1888 रकबा 0.6300 कुल खसरा 04 कुल रकबा 3.3100 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में वादी का 1 / 2 हिस्सा एवं सह खातेदार प्रतिवादी सं0 1 का 1 / 2 हिस्सा हक हकूक कब्जा काश्त का आता है। उक्त आराजीयात को आगे वाद पत्र के अग्र पदों में वादस्थ कृषि भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा। उक्त वर्णित आराजीयात कृषि भूमि पर वादी शांतिपूर्वक तरीके से काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि का विधिवत् बंटवाड़ा नहीं होने से वादी एवं प्रतिवादी के बीच हमेशा अपने हिस्सा कशी एवं धोरा पाली एवं माठो को लेकर विवाद होता रहता है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 को वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाड़ा करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 01 बार बार टालमटोल करता रहा। प्रतिवादी संख्या 01 दिनांक 30.05.2016 को वादस्थ कृषि भूमि का विधिवत् बंटवाड़ा करवाये बगैर मौके पर निर्माण कार्य करने की नियत से खसरा नंबर 996 में नींवे खोदना प्रारम्भ कर दिया तथा उक्त कृषि भूमि में पत्थर, चुना, बजरी एवं मुढ आदि डाल दिया। वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 को वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् करवाने के बाद ही निर्माण कार्य करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 01 नहीं माना तथा वादी को ऐलानियां धमकीयां दी कि हर सूरत में निर्माण कार्य करके रहूंगा तथा वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाड़ा नहीं होने दुंगा तथा रास्ते के पास स्थित भूमि को अन्य भू—माफियों को बेचान, हस्तान्तरण कर दुंगा, जिसका प्रतिवादी संख्या 01 को कोई हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा नाजायज तरीके से वादस्थ कृषि भूमि का विधिवत् बंटवाड़ा करवाये बगैर मकान का निर्माण करना शुरू कर दिया। वादी द्वारा मना करने के

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

बावजूद भी नहीं माना तथा वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के करवाने का साफ इंकार कर दिया। प्रतिवादी संख्या 01 ने तहसील कार्यालय चलकर बंटवाड़ा करवाने का साफ इंकार कर देने से वादी के पास वाद बाबत् बंटवाड़ा का पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहा। प्रतिवादी संख्या 01 नाजायज तरीके से वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाड़ा करवाये बगैर निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया तथा वादी को एलानियां धमकियां दी कि ''वादस्थ कृषि भूमि को अन्य भू-माफियों को बेचान हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द कर दुंगा तथा काश्त भी नहीं करने दुंगा''। इसलिये यह वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का एवं बंटवाड़ा का विरूद्ध प्रतिवादी पेश है। वाद हेतुक दिनांक 30.05.2016 को प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादस्थ कृषि भूमि में नाजायज तरीके से नींवे खोदकर निर्माण कार्य करना शुरू कर देने से तथा वादी द्वारा वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् करवाने हेतु निवेदन करने पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बंटवाड़ा करवाने से साफ इंकार कर देने तथा वादी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी करने तथा बेचान हस्तान्तरण करने की धमकीयां देने से बमुकाम साण्डिया में उत्पन्न हुआ, जो यह वाद अन्दर म्याद पेश है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने वादपत्र पेश कर वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाड़ा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवाया जाने, वादी का 1/2 हक हिस्से की कृषि भूमि का कब्जा अलग से सुपुर्द किये जाने, तथा राजस्व रेकर्ड में अलग से दर्ज किया जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी सं0 01 की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद वैष्णव ने वकालतनामा पेश किया सा0मि0 किया गया। प्रतिवादी सं0 01 के फौत हो जाने पर उनके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिया गया। अधिवक्ता वादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया। दिनांक 25.05.2018 को पत्रावली ''न्याय आपके द्वार -2018'' कैम्प-साण्डिया में पेश हुई। अधिवक्ता वादी ने प्रा0 डिक्री जारी करने का निवेदन किया। कि उभय पक्ष विभाजन हेतु सहमत होने से प्रा0 डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रति0 इस अमर सादिर की गई कि सरहद मौजा साण्डिया तहसील सोजत में खसरा नम्बर 663 रकबा 1.7600 हैक्टर, खसरा नम्बर 996 रकबा 0.1500 हैक्टर, खसरा नम्बर 1078 रकबा 0.7700 हैक्टर, खसरा नंबर 1888 रकबा 0.6300 कुल खसरा 04 कुल रकबा 3.3100 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि का पक्षकारानो में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा भिजवाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया गया। तहरीर पत्रांक/कोर्ट/2021/127 दिनांक 14.01.2021 विभाजन प्रस्ताव चाहा गया । तहसीलदार, सोजत ने पत्रांक/2023/1991 दिनांक 18.10.2023 द्वारा आरटी0 एक्ट एवं आर0टी0 (राज) नियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रेषित किये, सा0मि0 है।

अधिवक्ता मय वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित हुए। प्रस्तुत आर0टी0एक्ट0 एवं आर0टी0 नियम के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए प्रेषित किया। उपस्थित उभय पक्षों की उपस्थिति में तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में की गई स्वीकारोक्ति/सहमति अनुसार तथा उभयपक्षों के अधिवक्तागण की दौराने बहस स्वीकारोक्ति की है। जिससे वादी का वाद डिकी किया जाना तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य माफिक राजस्व रेकार्ड पक्षकारानों में उनके हक हिस्से एवं मौका स्थिति अर्थात विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शानुसार बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग-अलग अर्थात खसरा नम्बर, रकबा, किस्म व लगान अलग-अलग से निर्धारण किये जाने को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

-: आदेश :-

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा साण्डिया तहसील सोजत में खसरा नम्बर 663 रकबा 1.7600 हैक्टर, खसरा नम्बर 996 रकबा 0.1500 हैक्टर, खसरा नम्बर 1078 रकबा 0.7700 हैक्टर, खसरा नंबर 1888 रकबा 0.6300 कुल खसरा 04 कुल रकबा 3.3100 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है -

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान रु0
1.	बादरराम पुत्र जोराराम कौम बावरी सा.देह खातेदार रहन–राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक शाखा चण्डावल	663 996 1078 1888	0.4950 0.0750 0.7700 0.3150	बा.अ.	
	कुल खसरा	04	1.6550	बा.अ.	
2. 3. 4. 5. 6. 7.	रमेश पुत्र ढगलाराम गणपतलाल पुत्र ढगलाराम मनोहरलाल पुत्र ढगलाराम सुगिया पुत्री ढगलाराम सन्तोष पुत्री ढगलाराम सायता पुत्री ढगलाराम कौम बावरी सा. देह खातेदार	663/4 996/4 1888/1	1.2650 0.0750 0.3150	बा.अ.	
	कुल खसरा	03	1.6550	बा.अ.	

प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

उपखण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 18/10/2023 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली